

आवेदन प्रपत्र संख्या

पंचायत समिति/वाड

शहर/करवा

प्रारूप एस.एस.पी.-I

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन प्रपत्र

अनुप्रमाणित
फोटो

(संबंधित पर मिशान लगायें)

पेंशन का प्रकार :- वृद्धावस्था विधवा/परि./तलाकशुदा

विशेष योग्यजन

अन्य

आवेदक के निवास क्षेत्र का विवरण

जिला/तहसील/पंचायत समिति

ग्राम/वाड/करवा/शहर

लोकसभा क्षेत्र

1. आवेदक का नाम एवं आधार कार्ड संख्या

2. पुरुष या स्त्री

3. पिता या पति का नाम

4. धर्म

5. व्यवसाय

6. पति की मृत्यु/परित्यक्तता/तलाक प्रमाण पत्र की

तिथि (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

(विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा पेंशन के प्रकरण में)

7. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (प्राधिकृत

चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति

संलग्न करें) (निःशक्तता पेंशन के प्रकरण में)

8. पूरा पता

9. जन्म तिथि एवं आयु (आवेदन की तारीख की आयु)

(उल्लेखित आयु के बारे में प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है)

10. पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प

11. आवेदक द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक/पोस्ट

ऑफिस में खुलवाये गये बचत खाते का विवरण

(i) बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम एवं पता

बचत खाता संख्या

12. पहचान चिन्ह

13. बी.पी.एल. विवरण/अन्त्योदय/आस्था कार्ड

(i) सर्वेक्षण वर्ष

(ii) स्थान

(iii) फ़ैमिली आई.डी.

(iv) मेम्बर आई.डी.

14. आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण और उनकी आय :

(क) पिता एवं माता

(ख) पति/पत्नी

टिप्पणी : (i) विशेष योग्यजन पेंशन के आवेदकों द्वारा ही माता और पिता का विवरण दिया जावे।

15. क्या कोई भी संबंधी लगातार लापता है ? (हाँ/नहीं)

यदि ऐसा है तो विस्तृत वर्णन (नाम, आयु, तारीख

जिससे लापता हो)

पुरुष

स्त्री

जाति :

□□-□□-□□□□

अंधता कुष्ठ रोग मुक्त श्रवण शक्ति ह्रास चलन निःशक्तता

मानसिक मंदता कम दृष्टि मानसिक रूग्णता बौनापन

निःशक्तता का प्रतिशत

पिनकोड □□□□□□

□□-□□-□□□□ आयु : □□ वर्ष □□ माह

नकद

मनीऑर्डर

डाकघर बचत खाता

बैंक बचत खाता

□□□□-□□□□□□□□□□

1 _____ 2 _____ 3 _____

□□□□

(फोटो प्रति संलग्न करें)

नाम :

आय रूपयों में

रु. वार्षिक

रु. वार्षिक

हाँ नहीं

नाम :

सम्बन्ध

□□ आयु □□-□□-□□□□

(2)

16. मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड संख्या : राशनकार्ड संख्या
17. श्रेणी : सामान्य ओ.बी.सी. एस.बी.सी. एस.सी. एस.टी. अल्प संख्य
18. आवेदक के स्वयं के सम्पर्क नम्बर : मो.बा. ले.ला.
19. आवेदक के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर : मो.बा. ले.ला.
- मो.बा./ले.ला. धारक का आवेदक के साथ सम्बन्ध :

20. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ :

(क) (i) मेरे जीवन निर्वाह हेतु मेरी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा मेरी समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये है। मेरा पुत्र राजकीय सेवा/राजकीय उपक्रम में सेवारत/पेंशनर है/नहीं है।

(नीचे लिखे नोट के अनुसार आय की उद्घोषणा पत्र को संलग्न कर दिया है)

(ii) मैं रुपये प्रति माह (सरकारी विभाग/निजी निकाय/संस्थान स्रोत का नाम लिखें) से, पी.पी.ओ. संख्या आदेश संख्या के द्वारा पेंशन/निर्वाह भत्ता प्र रहा हूँ/कर रही हूँ।

(ख) मैंने पूर्व नियमों वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/विशेष योग्यजन में पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया/नहीं किया (यदि पहले प्रस्तुत किया गया हो तो यह लिखें कि क्या पेंशन स्वीकृत है या अस्वीकृत की गई) यदि स्वीकृत है तो पं संख्या दिनांक जारी कर्ता कोषालय का नाम

(ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मैं राजस्थान में गते 7 वर्षों से स्थाई रूप से निवास कर रहा हूँ।

(घ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रगतिष्क घात, मानसिक गंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (नेशनल ट्रस्ट के अन्तर्गत अभिभावक नियुक्ति पत्र संलग्न है। (यदि लागू हो तो)

(ङ) मेरे द्वारा सूचित उपर्युक्त समस्त प्रविशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं एवं गलत पाए जाने पर मेरे आवेदन को निरस्त वि सकता है।

(असगत मदों को काट दिया जाये)

स्थान :

दिनांक : --

संलग्न - उपरोक्तानुसार

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
या दायें/बायें अंगूठे का निशान

नोट - पेंशन आवेदन के संबंध में राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या पं.13(34) राज./युप-1/2012 दिनांक 09/08/2012 द्वारा जारी आय की उद्घोषणा पत्र के लिए निर्धारित पत्र के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपना कर प्राधिकृत स्वीकृति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र संसद/विधानसभा/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के सदस्य या पंचायत के सरपंच/पंचायत समिति के प्रधान/जिला परिषद के प्रमुख/सदस्य अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया जायेगा)

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी को गत वर्षों से जानता हूँ। उसके महत्व के विन्द नीचे दिये जा रहे हैं।

1.
2.

यह स्वस्थ चित्त/विक्षिप्त है। इस आवेदन में दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनांक : स्थान

प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति
के हस्ताक्षर और पद नाम और पूरा पता

टिप्पणी :-

- (1) यदि निराश्रित विक्षिप्त होने के कारण अपने हस्ताक्षर करने/अंगूठा लगाने में असमर्थ हो तो निराश्रित का पेंशन द्वारा भरण पोषण करने का लेने वाला संरक्षक आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकेगा।
- (2) संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, पंचायत समिति के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी सम्यक रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार की फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करें। (फोटो चिपकानी नहीं है।)
- (3) विशेष योग्यजन पेंशन आवेदन के संबंध में संलग्न की गई फोटो में दाहरी निःशक्तता स्पष्ट रूप से दर्शित होनी चाहिए।

प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग II

जांच अधिकारी की रिपोर्ट

मैंने नियमों के अधीन अपेक्षित आवश्यक जांच कर ली है और आवेदन में वर्णित तथ्यों के सत्यापन का परिणाम निम्नानुसार है :-
(संबंधित \sqrt पर निशान लगाये)

आवेदक का नाम एवं आयु : वर्ष माह तिथि

आधार कार्ड संख्या/मतदाता पहचान पत्र संख्या/अन्य
पहचान/मूल निवास

(i) भौतिक सत्यापन के आधार पर आयु के प्रमाण के सम्बन्ध में टिप्पणी

(ii) देखने पर अनुमानित आयु

(iii) गाँव के जिम्मेदार व्यक्तियों, निकट सम्बन्धियों, पटवारी, पंच आदि द्वारा बताई गई आयु

आवेदक की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय एवं आय का स्रोत

(i) क्या उसकी कोई पूर्व सम्पत्ति है, जैसे मकान, दुकान, मशीनरी, कृषि भूमि आदि ?

(ii) क्या उसकी कृषि, मशीनरी, किराये, कारोबार, व्यवसाय या नियोजन मजदूरी, ब्याज आद से कोई नियमित आय होती है ? (कुल वार्षिक आय में जोड़े)

(iii) अब तक उसके जीवन निर्वाह या उसकी जीविका का स्रोत क्या रहा है ?

(iv) जांच के समय उसके नोटिस में लाई गई या अन्य सम्बन्धित सूचना या विशिष्टियाँ

3. आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण

(i) माता-पिता, पत्नी/पति, पुत्र का नाम, उसकी आयु और आय का स्रोत, राजकीय नियुक्ति का विवरण

(ii) अन्य सम्बन्धी जो जीविकोपार्जन के लिये सर्वथा असमर्थ हो गये हों, यदि हाँ, तो नियोग्यताओं का ब्यौरा दें।

4. कोई पेंशन, भत्ते, अनुदान, वेतन आदि :

क्या उसे कोई पेंशन, भत्ते, अनुदान, वेतन आदि से वित्तीय सहायता मिलती है ? यदि हाँ तो वेतन, पेंशन राशि, भत्ते आदि का पूर्ण ब्यौरा और प्राप्ति का स्रोत और अन्य आवश्यक विशिष्टियाँ लिखें।

5. आवेदक के सम्बन्ध में कोई अन्य सूचना :-

अ) बी.पी.एल. सर्वे संख्या आदि/अन्तोदय परिवार/आस्था कार्ड धारी परिवार संक्षिप्त विवरण दें।

ब) पति के मृत्यु/परित्यक्ता/तलाक के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन के प्रकरण में)

स) विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन आवेदन के सम्बन्ध में क्या आवेदक ने पुनःविवाह किया है ?

द) परित्यक्ता महिला अपने पति से कितने वर्ष से अलग रह रही है ? (परित्यक्ता पेंशन के प्रकरण में)

य) निःशक्तता का प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। (विशेष योग्यजन पेंशन प्रकरण में)

र) क्या आवेदक प्राकृतिक बौनेपन से ग्रसित है ?

6. क्या आवेदक सहरिया/कथोडी/खैरवा जाति का है ?

: वर्ष माह तिथि

: वर्ष माह

: वर्ष माह

: रु. वार्षिक स्रोत :

: हाँ नहीं

: हाँ नहीं रु. वार्षिक

:

:

:

: हाँ नहीं

:

:

: हाँ नहीं

: रु. विवरण

:

:

:

: हाँ नहीं HIV + हाँ नहीं

: हाँ नहीं

: हाँ नहीं

: हाँ नहीं

: हाँ नहीं समयावधि : वर्ष माह से

: हाँ नहीं

: हाँ नहीं निःशक्तता का प्रतिशत :

: हाँ नहीं ऊँचाई फीट इंच

: हाँ नहीं

(4)

7. जांच अधिकारी की सिफारिश :
आवेदक के परिवार के बी.पी.एल. सूची/अन्तोदय परिवार/ :
आस्था कार्डधारक की सूची में सूचीबद्ध रहने तक/विधवा/ :
परित्यक्ता/तलाकशुदा के पुनःविवाह नहीं करने तक/आय :
अनुरूप पात्रता नहीं रहने तक/मृत्यु पर्यन्त :
वृद्धावस्था/विधवा/विशेष योग्यजन विशेष पेंशन स्वीकृत :
करने की सिफारिश की जाती है/नहीं की जाती है। मामले की :
अस्वीकृति के निम्न कारण हैं।
(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

अन्य कोई विशेष विवरण :

क्रमांक :

दिनांक : □□-□□-□□□□

स्थान :

()

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम मय सील

प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग III

क्रमांक :

दिनांक

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के आदेश

आवेदक श्री श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी को उनके पेंशन आवेदन के अनुरूप

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा रुपये (अक्षरे रुपये) की वृद्धावस्था/

विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/विशेष योग्यजन पेंशन एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन एवं स्वीकृति में दिये गये तथ्यों की मूली मांति जांच कर ली गई है तथा आवेदक स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुआ या हुई जिसका फोटो से मिलान कर लिया गया है, जो सही है।

या

पेंशन की मजूरी का आवेदन निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है :

.....
.....

विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी

नाम मय सील

प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग- IV

आय का घोषणा पत्र

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए)

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ चयन करें)

पेंशन का प्रकार:- वृद्धावस्था विधवा/परि./तलाकशुदा विशेष योग्यजन अन्य

1. प्रार्थी का नाम..... पिता/पति का नाम श्री..... आयु..... वर्ष..... माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-.....
तह..... जिला..... पिन:.....
3. स्वयं/ स्वयं की एवं पति/पत्नि की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण :-

(i) कृषि भूमि (.....) आदि से आय: रु.....	(ii) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.....
(iii) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी, आदि से आय: रु.....	(iv) मशीनरी, किराये, दुकान, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु.....
(v) अन्य स्रोतों से आय: रु.....	कुल वार्षिक आय: रु.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक:.....

प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

उत्तरदायी व्यक्ति का साक्ष्य प्रमाण पत्र

मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि, प्रार्थी/प्रार्थिया..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी..... को भली प्रकार से जानता/जानती हूँ। प्रार्थी/प्रार्थिया द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा का मैं साक्षी हूँ। मेरी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थिया के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह

नाम.....

(पद नाम मय दिनांक)

नोट:- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उपमहापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशप्ता करवाएँ।)